रायगढ़ जिले के नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए अधिसूचना प्रकाशित

- 22 जनवरी से 28 जनवरी तक होगा नाम निर्देशन
- 29 जनवरी को संवीक्षा, 31 जनवरी नाम वापस लेने की अंतिम तारीख
- 11 फरवरी को सुबह 08 बजे से शाम 05 बजे तक होगा मतदान
- 15 फरवरी को प्रात: 09 बजे से शुरू होगी मतगणना, सभी निकायों के लिए बनाए गए मतगणना केंद्र

रायगढ़

रायगढ़ जिले के सभी नगरीय निकायों में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा आज 22 जनवरी 2025 को कर दिया गया है। आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जो 28 जनवरी 2025 तक चलेगी। शासकीय अवकाश के दिनों में नाम निर्देशन की प्रक्रिया नहीं होगी। अधिसूचना में नगरीय निकाय वार निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति, नाम निर्देशन करने, नाम निर्देशन की संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापस लेने के संबंध में स्थान, तारीख और समय, मतदान की तारीख और समय तथा नगरीय निकायवार मतगणना स्थल, तारीख और समय की जानकारी प्रकाशित की गई है।

नगरपालिक निगम, रायगढ़

अधिसूचना के तहत रायगढ़ नगर पालिक निगम के लिए रिटर्निंग ऑफिसर रवि राही, अपर कलेक्टर रायगढ़ को नियुक्त किया गया है। रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत महापौर के नाम निर्देशन हेतु न्यायालय कलेक्टर, कक्ष क्रमांक 2, इसी प्रकार पार्षद हेतु वार्ड क्रमांक 1 से 12 तक के लिए कक्ष क्रमांक 30, वार्ड क्रमांक 13 से 24 के लिए कक्ष का क्रमांक 37, वार्ड क्रमांक 25 से 36 के लिए कक्ष क्रमांक 14 तथा वार्ड क्रमांक 37 से 48 के लिए कक्ष क्रमांक 16 को नाम निर्देशन कक्ष बनाया गया है। नाम निर्देशन प्रात: 10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की संवीक्षा 29 जनवरी को प्रात: 10.30 बजे से न्यायालय कलेक्टर, कक्ष क्रमांक 02 में होगी। 31 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक न्यायालय कलेक्टर, कक्ष क्रमांक 02 में अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी 2025 को केआईटी, गढ़उमरिया में प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।

नगर पालिका, खरसिया

नगर पालिका खरसिया के लिए एसडीएम डॉ.प्रियंका वर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। खरसिया नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए नाम निर्देशन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, खरसिया में 22 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक प्रात:10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की संवीक्षा 29 जनवरी को प्रात: 10.30 बजे से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, खरसिया में होगी। 31 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, खरसिया में अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी 2025 को शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय खरसिया में प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।

नगर पंचायत, घरघोड़ा

नगर पंचायत घरघोड़ा के लिए एसडीएम रमेश कुमार मोर को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत घरघोड़ा के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए नाम निर्देशन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, घरघोड़ा में 22 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक प्रात:10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की संवीक्षा 29 जनवरी को प्रात:10.30 बजे से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, घरघोड़ा में होगी। 31 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, घरघोड़ा में अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी 2025 को सभागार कक्ष, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा में प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।

नगर पंचायत, धरमजयगढ़

नगर पंचायत धरमजयगढ़ के लिए एसडीएम धनराज मरकाम को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत धरमजयगढ़ के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए नाम निर्देशन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष, धरमजयगढ़ में 22 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक प्रात: 10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की संवीक्षा 29 जनवरी को प्रात: 10.30 बजे से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष, धरमजयगढ़ में होगी। 31 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष, धरमजयगढ़ में अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी 2025 को जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान धरमजयगढ़ में प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।

नगर पंचायत, लैलूंगा

नगर पंचायत लैलूंगा के लिए एसडीएम अक्षा गुप्ता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत लैलूंगा के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए नाम निर्देशन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, लैलूंगा में 22 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक प्रात: 10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की संवीक्षा 29 जनवरी को प्रात: 10.30 बजे से कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, लैलूंगा में होगी। 31 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व न्यायालय कक्ष, लैलूंगा में अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी 2025 को संत रामेश्वर गहिरा गुरु महाविद्यालय, लैलूंगा में प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।

नगर पंचायत, पुसौर

नगर पंचायत पुसौर के लिए तहसीलदार नेहा उपाध्याय को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत पुसौर के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए नाम निर्देशन कार्यालय नगर पंचायत पुसौर (रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष) में 22 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक प्रात: 10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की संवीक्षा 29 जनवरी को प्रात: 10.30 बजे से कार्यालय नगर पंचायत पुसौर (रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष) में होगी। 31 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत पुसौर (रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष) में अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी 2025 को मंगल भवन, पुसौर में प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।

नगर पंचायत, किरोड़ीमल नगर

नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के लिए अतिरिक्त तहसीलदार हितेश साहू को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर के अध्यक्ष और पार्षदों के लिए नाम निर्देशन सभाकक्ष, नगर पंचायत कार्यालय भवन, किरोड़ीमल नगर में 22 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक प्रात: 10.30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नाम निर्देशन की संवीक्षा 29 जनवरी को प्रात: 10.30 बजे से सभाकक्ष, नगर पंचायत कार्यालय भवन, किरोड़ीमल नगर में होगी। 31 जनवरी 2025 को अपराह्न 3 बजे तक सभाकक्ष, नगर पंचायत कार्यालय भवन, किरोड़ीमल नगर में अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। 11 फरवरी 2025 को प्रात: 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 15 फरवरी 2025 को स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, किरोड़ीमल नगर में प्रात: 9 बजे से मतगणना शुरू होगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

होटल के सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 5 घायल

रायगढ़-रायपुर (आरएनएस)। शहर के ढिमरापुर रोड स्थित होटल 'मुरारी द किचन' के पास आज दोपहर एक नाश्ते की दुकान में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट से पूरा इलाका दहल उठा। इस दौरान होटल के भीतर बैठकर नाश्ता कर रहे 2 युवकों समेत 5 लोग ब्लास्ट की चपेट में आने से झुलस गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने दुकान के बाहर निकालकर बचा लिया। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को घटना की सूचना दी और आग बुझाने में जुट गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, होटल में ब्लास्ट से झुलसे सभी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद निगम अमला भी मौके के लिए रवाना हो गया है। आग की वजह से दुकान के बाहर खड़ी एक एक्टिवा और बाइक भी पूरी तरह जल गई है।

तेज रफ्तार वाहन ने मासूम को कुचला

भिलाई-रायपुर (आरएनएस)। शहर के जयस्तंभ चौक चरौदा में सडक़ किनारे खेल रहे एक मासूम बच्चे की तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शांति नगर सत्यम चौक भिलाई-3 निवासी शैलेंद्र की पत्नी लीमन मांडले कल शाम प्रवीण बंजारे के लडक़े की मृत्यु होने पर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने अपनी बेटी तान्या 8 वर्ष एवं बेटे हर्ष मांडले 4 वर्ष के साथ जयस्तंभ चौक चरौदा पहुंची थी। हर्ष रोड के पास खेल रहा था, इसी दौरान शाम करीब 6.30 बजे एक तेज रफ्तार वाहन क्रमांक सीजी 07 एचवी 8148 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए हर्ष4 वर्ष को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल बच्चे को सुपेला के बीएम शाह हास्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया।

रायगढ़ नगरीय निकाय अंतर्गत विभिन्न वार्डों से पार्षद पद हेतु 14 अभ्यर्थियों ने लिए नामांकन पत्र

- पार्षद पद हेतु खरसिया में 01, घरघोड़ा में 02 तथा अध्यक्ष पद हेतु घरघोड़ा में लिए गए 01 नामांकन पत्र
- 28 जनवरी तक होगा नाम निर्देशन, 29 जनवरी को संवीक्षा तथा 31 जनवरी नाम वापस लेने की अंतिम तारीख

रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए जारी कार्यक्रम अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में 22 जनवरी से नगरीय निकायों के लिए नाम निर्देशन प्रक्रिया शुरू हो गई। जिसमें रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत पार्षद पद हेतु वार्ड क्रमांक 9 के लिए 02 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र लिए। इसी तरह पार्षद पद हेतु वार्ड क्रमांक 10 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 24 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 26 के लिए 02, वार्ड क्रमांक 29 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 32 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 33 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 42 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 43 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 45 के लिए 01, वार्ड क्रमांक 47 के लिए 01 एवं वार्ड क्रमांक 48 के लिए 01 अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिया गया।

नगर पालिका खरसिया में वार्ड क्रमांक 11 में पार्षद के लिए 01, नगर पंचायत घरघोड़ा में वार्ड क्रमांक 6 एवं 14 में पार्षद के लिए 01-01 तथा अध्यक्ष पद के लिए 01 अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिया गया। नगर पंचायत पुसौर, किरोड़ीमल नगर, लैलूंगा एवं धरमजयगढ़ में निरंक रहा।

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स को दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरओ सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में आज कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में जिले के समस्त मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिले के नगरीय निकायों में आगामी 11 फरवरी को मतदान ईवीएम मशीनों के माध्यम से होगा। इस अवसर पर एडिशनल सीईओ महेश पटेल ने सभी मास्टर ट्रेनर्स को गंभीरता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए ताकि मतदान दलों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल एवं विकास सिन्हा ने बताया कि ईवीएम से होने वाले निर्वाचन में केवल बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। पूर्ववर्ती निर्वाचनों में प्रयुक्त वीवीपेट की व्यवस्था इस बार नहीं होगी। मतदाताओं को मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट में दो बार बटन दबाकर महापौर/ अध्यक्ष तथा पार्षद पद के अभ्यर्थियों को मतांकन करना है। बेलेट यूनिट में इस प्रकार दोनों पदों के लिए बटन विभाजित रहेंगे। दो बार बटन दबाने के बाद ही मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। ईवीएम से मतदान के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। नगरीय निकायों के निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत का निर्वाचन तीन चरणों में संपन्न होगा। जिसमें जिले के पंचायतों के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायत का निर्वाचन मत पत्रों तथा मत पेटी के माध्यम से किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया के संबंध में भी आज के प्रशिक्षण में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मतदान दलों का आगामी प्रशिक्षण 30 एवं 31 जनवरी को सभी ब्लाक मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा।

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव

रायगढ़ में प्रशासन और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, आमजन को दिया निर्भीक मतदान का संदेश

रायगढ़

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ जिले में प्रशासन और पुलिस की व्यापक तैयारी है। इसी क्रम में आज जिला मुख्यालय समेत विभिन्न तहसीलों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन में सुरक्षा और भरोसे का वातावरण बनाना और निर्भीक मतदान के लिए प्रेरित करना है।

जिला मुख्यालय में भव्य फ्लैग मार्च

जिला मुख्यालय रायगढ़ में नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। मार्च में एसडीएम प्रवीण तिवारी, ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह, नवपदस्थ डीएसपी अनिल विश्वकर्मा, डीएसपी सुशांतो बनर्जी, थाना प्रभारी कोतवाली सुखनंदन पटेल, थाना प्रभारी चक्रधरनगर प्रशांत राव, एसआई गिरधारी साव समेत तीनों शहरी थानों के पुलिसकर्मी शामिल हुए।

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से गुजरीं। नागरिकों को यह संदेश दिया गया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोई भी असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तहसील स्तर पर भी हुआ फ्लैग मार्च

शहर के अलावा घरघोड़ा थाना क्षेत्र में एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। यहां भी प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आमजन को निर्भीक होकर मतदान करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रोत्साहित किया।

फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना और मतदाताओं को यह संदेश देना है कि वे बिना किसी डर या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे निर्भीक होकर मतदान करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अप्रिय घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

जिले में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारी है। असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ लगातार गश्त जारी रहेगी।

प्रशासन और पुलिस ने एक बार फिर आमजन से अपील की है कि वे निर्भीक होकर मतदान प्रक्रिया में शामिल हो। किसी भी तरह की परेशानी या संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। रायगढ़ जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

चक्रधरनगर पुलिस की शराब रेड कार्यवाई: मोटर सायकल पर महुआ शराब तस्करी कर रहे दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

21 जनवरी 2025 को चक्रधरनगर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पंडरीपानी के पास दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डिग्री कॉलेज के पास मुख्य मार्ग पर घेराबंदी की और पेशन प्रो मोटरसाइकिल (नंबर CG 13 AD 4045) सवार दोनों व्यक्तियों को रोककर जांच की।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 7 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 1,400 रुपये है, बरामद की गई। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रमोद कुमार यादव (40 वर्ष) निवासी सेठीनगर और रितेश सिंह (43 वर्ष) निवासी छोटे अतरमुडा के रूप में हुई है।

दोनों के खिलाफ थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई में महिला प्रधान आरक्षक समुंद निराला, आरक्षक मिनकेतन पटेल और महिला आरक्षक अनिता बेक ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर यह अभियान जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025: रायगढ़ यातायात पुलिस ने जागरूकता रथ के माध्यम से किया जन-जागरण

रायगढ़

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर रायगढ़ यातायात पुलिस द्वारा आज व्यापक जन-जागरूकता अभियान के तहत यातायात जागरूकता रथ के माध्यम से शहरवासियों और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

जागरूकता रथ ने शहर के प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भ्रमण किया, जहां आम नागरिकों और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराया गया। पुलिस टीम ने इस दौरान बैनर और पंपलेट वितरित किए, जिनमें यातायात नियमों और सुरक्षित सड़क व्यवहार के बारे में जानकारी दी गई थी।

यातायात निरीक्षक ने कैडेट्स को दी ट्रैफिक की जानकारी

कार्यक्रम के तहत थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक अनुरंजन लकड़ा ने "माई इंडिया" के कैडेट्स के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया। इसमें उन्होंने कैडेट्स को सुरक्षित यातायात नियमों की बारीकियां समझाईं और उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था की आवश्यकताओं से परिचित कराया।

निरीक्षक लकड़ा ने बताया कि यातायात नियमों का पालन न केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सड़क पर सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायक है। उन्होंने कैडेट्स से आग्रह किया कि वे स्वयं इन नियमों का पालन करें और अपने परिवार एवं मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान रायगढ़ यातायात पुलिस ने न सिर्फ नियमों की जानकारी दी, बल्कि वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, गति सीमा के पालन और नशे में गाड़ी न चलाने जैसी आदतों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया।

यातायात पुलिस ने यह भी बताया कि इस तरह के अभियान पूरे माह के दौरान जारी रहेंगे। आगामी दिनों में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में भी जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।

विद्युत करेंट से हुई जंगली हाथी की मृत्यु, आरोपी को हुआ जेल

- धरमजयगढ़ वन मंडल में ग्रामीणों को हाथियों के विचरण की दी जा रही सूचना

रायगढ़

धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम-क्रोन्धा में आनंद राम के राठिया द्वारा अपने खेत में तार बिछाकर विद्युत करेंट प्रवाहित किया गया था, जिससे एक जंगली हाथी की मृत्यु हो गई। घटना पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी न्यायालय धरमजयगढ़ के समक्ष पेश किया गया। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के उलंघन करने पर माननीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड देते हुए आरोपी को 22 जनवरी 2025 को जिला जेल रायगढ़ दाखिला हेतु आदेश किया गया।

वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जनवरी 2025 को क्रोन्धा परिसर ग्राम क्रोन्धा के राजस्व क्षेत्र खामनारा नामक स्थान में 01 नग नर हाथी के मृत्यु की सूचना परिसर रक्षक क्रोन्धा से प्राप्त हुई। वन परिक्षेत्राधिकारी धरमजयगढ द्वारा उक्त घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देते हुए पशु चिकित्सकों की टीम एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी सूचित किया गया। मौका स्थल पर जांच करने पर पता चला कि 20 जनवरी 2025 को छाल वन परिक्षेत्र के खडगांव परिसर कक्ष क्रमांक 594 आर एफ में 13 हाथियों का दल (गौतमी दल) विचरण कर रहा था जिसकी लगातार ट्रेकिंग की जा रही थी एवं आस पास के ग्रामीणों को हाथी विचरण की जानकारी दी जा रही थी।

21 जनवरी 2025 को उक्त गौमती दल के 01 नग हाथी उम्र लगभग 10 वर्ष की मृत्यु आनंद राम वल्द पिरित राम राठिया साकिन क्रोन्धा के खेत में होना पाया गया। जांच के दौरान आनंद राम राठिया के द्वारा अपने खेत में तार बिछाकर विद्युत करेंट प्रवाहित किया गया था, जिससे हाथी की मृत्यु होना पाया गया। मृत हाथी के सूंड में विद्युत तार चिपका हुआ था एवं सूंड में विद्युत करेंट से जलने का निशान मिला। विद्युत करेंट प्रवाहित करनें संबंधी तार, खूंटा, बैटरी, झटका, पैनल चार्जर मौका स्थल पर मिला जिसे नियमानुसार जप्ती की कार्यवाही किया गया। मृत हाथी की पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा किया गया। वन मंडलाधिकारी एवं उप वनमंडलाधिकारी के उपस्थिति में विधिवत् मृत हाथी के कफन-दफन की कार्यवाही किया गया।

उक्त घटना के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 14138/10 दिनांक 21 जनवरी 2025 दर्ज कर आरोपी से पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी आनंद राम वल्द पिरित राम राठिया साकिन क्रोन्धा द्वारा फैलाये गये अवैध विद्युत तार से जंगली हाथी की मृत्यु होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर नियमानुसार न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी न्यायालय धरमजयगढ़ के समक्ष पेश किया गया। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2,9,39,51 एवं 52 के उलंघन करने पर माननीय न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड देते हुए आरोपी को दिनांक 22 जनवरी 2025 को जिला जेल रायगढ़ दाखिला हेतु आदेश किया गया। आरोपी को जिला जेल रायगढ़ दाखिला करते हुए प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही के लिए लिया गया। धरमजयगढ वन मंडल हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण लगातार ग्रामीणों को हाथियों के विचरण की जानकारी हाथी मित्र दल, हाथी ट्रेकरों एवं क्षेत्रीय वन कर्मचारियों द्वारा सतत् रूप से दी जा रही है। हाथी से बचाव हेतु राहगीरों एवं जनता को सतर्क किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480